

दिनांक

आज्ञा पत्र

12.3.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रिस्पॉ.उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 9.4.22  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 9.4.22  
को पेश हो।

9.4.22

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त/रिस्पॉ.उपस्थित 28.3  
के पीछे 23 दिनांक रिस्पॉ.उपस्थित पेश की। 28.3.22  
मात्रा अपीलान्त-पुः पत्रावली पर पेश की। पत्रावली  
पेश 28.3.22 30.4.22 के पेश की।

30.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रिस्पॉ.उपस्थित स्थित  
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 30.4.22  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 7.5.22  
को पेश हो।

7.5.22

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है  
कि आगामी तिथि से पूर्व तामोल से शेष रिस्पॉ.उपस्थित के  
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर  
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली  
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक  
7.5.22 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि  
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

27/5/22

पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामोल से शेष रिस्पॉ.उपस्थित के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रिस्पॉ.उपस्थित के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौरन श्रुति होकर नम्बर  
को खम होकर बाद तम्बील तकमील दामिन तकमन हो।

अनिल कुमार रास  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व जमीन अधिकारी  
सीकर (कैम्प बुन्दुन)